रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2005/चैत्र 2, 1927

No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2005/CHAITRA 2, 1927

IndiaCode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2005

सा.का.नि. 188(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्ता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और अचार संहिता) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है।

(ख) उन सभी शब्दों और पदों के जो इस नियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. **पूंजी पर्याप्ता और उधार पात्रता की अपेक्षाएं.**—(1) समुचित आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को सुनने के पश्चात् वितरण नेटवर्क के लिए पूंजी निवेश की अपेक्षाओं और धारा 43 के निबंधनों में प्रदाय के क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र के भीतर सेवा बाध्यताओं को दृष्टि में रखते हुए विनिश्चय करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदक से समुचित आयोग यह अपेक्षा करेगा कि वह उपनियम (1) के अधीन यथानिर्धारित विनिधान के व्यय पर 30% साधारण पूंजी के किसी सन्नियम पर जहां आवेदक कोई कंपनी है के मामले में, कुल धन के आधार पर परियोजना की ऐसी साधारण पूंजी के लिए उपलब्ध साधनों से किए जाने की स्थिति में, जिसके अन्तर्गत उसका संप्रवर्तक भी है, और कारबार के आंतरिक साधनों से उत्पन्न उसके अन्य प्रतिबद्ध विनिधानों को अपवर्जित करने के पश्चात् पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसे उस कारबार के आंतरिक साधनों द्वारा उत्पन्न होती है।

स्पष्टीकरण:—अधिनियम की धारा 14 के छठे परन्तुक के निबंधनों में समान क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति के प्रदाय के लिए, आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 243(थ) में यथापरिभाषित किसी नगर परिषद् या किसी नगर निगम या कोई राजस्व जिला होगा।

4. **आचार संहिता की अपेक्षाएं.**—अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवेदक समुचित आयोग का समाधान करेगा कि वह दोषी नहीं पाया गया था या अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवेदन की तारीख से गत तीन वर्षों में निम्नलिखित किसी उपबंधों के अधीन निरर्हित नहीं किया गया है।

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 203, धारा 274, धारा 388ख या धारा 397;

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276, धारा 276ख, धारा 276खख, धारा 276ग, धारा 277 या धारा 278;

(ग) भारतीय प्रत्याभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ग, धारा 15छ, धारा 15ज या धारा 15जक;

(घ) उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खंड (खख), खंड (खखख), खंड (खखखख), खंड (ग) या खंड (घ);

(ङ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 या धारा 135,

और अधिनियम की धारा 24 के अधीन आवेदक वह व्यक्ति नहीं है जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है या धारा 19 के अधीन आवेदन की तारीख से पिछले तीन वर्षों से प्रसंहृत किया गया है :

परन्तु जहां आवेदक कोई कंपनी है, इस नियम के उपबंधों के अतिरिक्त समुचित आयोग का यह समाधान करेगा कि कंपनी के परिसमापन के लिए कोई अर्जी तो नहीं दी गई है या उस संप्रवर्तक की अन्य कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 443(ङ) के अधीन या उधार के संदाय में असमर्थ रहने के आधार पर स्वीकार तो नहीं की गई है।

[फा. सं. 23/18/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2005

G.S.R. 188(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of, and clause (b) of Sub-section (2) of, Section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequancy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Electricity Act, 2003;

(b) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Requirements of capital adequacy and creditworthiness.**—(1) The Appropriate Commission shall, upon receipt of an application for grant of licence for distribution of electricity under Sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003, decide the requirement of capital investment for distribution network after hearing the applicant and keeping in view the size of the area of supply and the service obligation within that area in terms of Section 43.

(2) The applicant for grant of licence shall be required to satisfy the Appropriate Commission that on a norm of 30% equity on cost of investment as determined under sub-rule (1), he including the promoters, in case the applicant is a company, would be in a position to make available resources for such equity of the project on the basis of networth and generation of internal resources of his business including of promoters in the preceding three years after excluding his other committed investments.

IndiaCode

Explanation:—For the grant of a licence for distribution of electricity within the same area in terms of sixth proviso to Section 14 of the Act, the area falling within a Municipal Council or a Municipal Corporation as defined in the article 243(Q) of the Constitution of India or a revenue district shall be the minimum area of supply.

4. **Requirement of Code of Conduct.**—The applicant for grant of licence shall satisfy the Appropriate Commission that he has not been found guilty or has not been disqualified under any of the following provisions within the last three years from the date of the application for the grant of licence:

(a) Section 203, Section 274, Section 388B or Section 397 of the Companies Act, 1956;

(b) Section 276, Section 276B, Section 276BB, Section 276C, Section 277 or Section 278 of the Income-tax Act, 1961;

(c) Section 15C, Section 15G, Section 15H or Section 15HA of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

(d) clasue (b), (bb), (bbb), (bbbb), (c) or (d) of Sub-section (1) of Section 9 the Excise Act, 1944;

(e) Section 132 or Section 135 of the Customs Act, 1962,

and that the applicant is not a person in whose case licence was suspended under Section 24 or revoked under Section 19 of the Act, within the last three years from the date of application:

Provided that where the applicant is a company, it shall satisfy the Appropriate Commission in addition to provisions of this rule that no petition for winding up of the company or any other company of the same promoter has been admitted under Section 443 (e) of the Companies Act, 1956 on the ground of its being unable to pay its debts.

[F. No. 23/18/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.